EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2015 To 30.09.2016

V.D.A. Revisable Annualy with Effect from 01.10.2015

No.	**Perticular**	**Rs./P**
1	Basic Wages	**58.90**
2	Variable Dearness Allowance	**16.16**
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	**3.75**
4	Tatal Wages	**78.81**
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	**6.57**
6	P.F. Contributionof Employer @ 10% of Total Wages	**7.88**
7	Total Wages + Bonus + P.F. Contribution Less Contribution of Employer	**7.88**
8	Tatal Wages + Bonus	**85.38**
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	**7.88**
10	Net Payable to Beedi Roller	**77.50**

26/9/15

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4191 (1960=100) पर आधारित है। 4191 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय–समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश् किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियॉ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

26/9/15

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

//अधिसूचनंा//

रायपुर, दिनांक 29.11.2010

क्रमांक एफ 10–34/2010/16 राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग–क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों के दर प्रदेश में तीन स्तर से प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नानुसार 3 श्रेणी में वर्गीकरण किये जाने के संबंध में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10--22/2010/16, दिनांक 18.08.2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम वेतन अधिनियम के 45 अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश के निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित करते हुए वर्गवार क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन से अधिक विशेष वेतन निम्नानुसार प्रभावशील होगा :–

वर्गीकरण सूची

क्र0	शहर/क्षेत्र की श्रेणी	स्थान का नाम	वर्गीकरण के कारण
01	02	03	04
1.	(अ)	रायपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र तक। रायपुर, नगर पालिका बीरगांव, उरला, सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्र।	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 20/– रुपये अधिक विशेष वेतन।
2.	(ब)	भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र। धमतरी, भिलाई–चरोदा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र।	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 10/– रुपये अधिक विशेष वेतन।

3.	(स)	वर्ग ''अ'' एवं ''ब'' छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र ।	प्रचलित न्यूनतम वेतन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क्रमांक एफ 10–34/2010/16, रायपुर, दिनांक 29/11/2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. कमिश्नर संभाग .... ।
5. कलेक्टर, जिला .... ।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायपुर।
7. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय .... ।
8. आयुक्त, नगर निगम .... ।
9. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

3.	(स)	वर्ग ''अ'' एवं ''ब'' छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र ।	प्रचलित न्यूनतम वेतन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क्रमांक एफ 10–34/2010/16, रायपुर, दिनांक 29/11/2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. कमिश्नर संभाग ....।
5. कलेक्टर, जिला ....।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायपुर।
7. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय ....।
8. आयुक्त, नगर निगम ....।
9. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2015 / 7684 रायपुर, दिनांक 26.09.2015

प्रतिलिपि :–

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि–514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर।
11. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
12. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
15. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर।

21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

36. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
41. विकास आयुक्त, विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर।
42. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
43. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
44. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
45. कृषि उत्पादन आयुक्त, रायपुर।
46. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
47. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, रायपुर।
48. राहत आयुक्त, रायपुर।
49. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
50. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
51. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
52. नियंत्रक, नाप–तौल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
53. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
54. आयुक्त, वाणिज्यिकर, रायपुर।
55. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर।
56. महानिदेशक विभागाध्यक्ष, छ0ग0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर।
57. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
58. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
59. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
60. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, जेल रोड रायपुर।
61. आयुक्त, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा राजस्व संभाग,।
62. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
63. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पुराना मंत्रालय के सामने रायपुर।
64. सचिव, राज्य महिला आयोग, रायपुर।
65. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर।

66. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।

67. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।

68. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।

69. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायपुर।

70. सचिव, राज्य युवा आयोग, रायपुर।

71. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर।

72. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।

73. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम--निमोरा, रायपुर।

74. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

75. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

76. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

77. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

78. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

79. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

80. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन रायपुर।

81. संचालक, उद्योग, उद्योग भवन, रायपुर।

82. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर।

83. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

84. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

85. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

86. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर।

87. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, रायपुर।

88. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर छत्तीसगढ़।

89. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।

90. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

91. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

92. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, छत्तीसगढ़ रायपुर।

93. संचालक, सैनिक कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़।

94. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।

95. संचालक, कृषि विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।

96. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, रायपुर, छत्तीसगढ़।

97. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
98. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
99. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
100. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।
101. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
102. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
103. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ रायपुर।
104. संचालक, मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ रायपुर।
105. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।
106. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
107. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के पास।
108. संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
109. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
110. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
111. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
112. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
113. प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
114. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
115. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, रायपुर।
116. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर छत्तीसगढ़।
118. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, रायपुर, छत्तीसगढ़।
119. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
120. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक–1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर–चांपा।
121. कुल सचिव, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
122. कुल सचिव, पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, पं0 सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

127. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़।

128. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।

129. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

130. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।

131. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

132. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।

133. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।

134. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।

135. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।

136. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

137. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

138. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

139. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

140. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

141. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

142. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।

143. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

144. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

145. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

146. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।

147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।

148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।

150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।

151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर।

154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस़ कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।

155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर।

156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।

157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।

158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

159. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर।
160. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर।
161. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
162. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
163. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
164. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
165. समस्त उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।
166. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
167. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर।
168. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
169. सहायक श्रमायुक्त– रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
170. श्रम पदाधिकारी–राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर–चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर।
171. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
172. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
173. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
174. केन्द्र अभियंता दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
175. चालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

26/9/15

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01.10.2015 से 31.03.2016

की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3–88–16–ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) के अन्तर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है।

कृषि नियोजन में जनवरी 2015 से जून 2015 की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर के अधिसूचना **क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2015/2010, दिनांक 24.03.2015** द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी दरें न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 603.90 रूपये प्रतिदिन 20.13 रूपये, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रतिमाह 4101.00 रूपये प्रतिदिन 136.70 रूपये अर्थात् कुल वेतन प्रतिमाह 4704.90 रूपये एवं प्रतिदिन 156.83 (157) रूपये दिनांक **01.10.2015 से 31.03.2016** की अवधि में भी प्रभावशील रहेगी।

28/9/15

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर